पंचायत निगरानी संख्या : 486/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम चैनाराम अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 486/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/626

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. चैनाराम पुत्र दुदाजी जाति देवासी निवासी दूदनी तहसील बाली जिला पाली राज 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी पंचायत समिति, बाली 3. गलाराम पुत्र दुदाजी जाति देवासी निवासी दूदनी तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 08/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 25.05.2017 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.02.2026

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 08/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 25.05.2017 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत **पट्टा संख्या 39 दिनांक 25.05.2017** को जारी किया गया है।
2. **चैनाराम/दुदाजी रेबारी** के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 39 जरिये मिसल संख्या 08/2017–18 द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के **प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017** में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 486 / 2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम चैनाराम अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पट्टा शूल्क 200.00 / – रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया गया। पत्रावली में दायर दिनांक 20.04.2017 अंकित है जिसमें चैनाराम / दुदाजी के पट्टा आवेदन शुल्क 120 / – रुपये जरिये रसीद संख्या 77 दिनांक 20.04.2017 द्वारा जमा कर पत्रावली दायर की गई। पत्रावली में सलंग्न पट्टा आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर नही है साथ में सलंग्न शपथ पत्र में हस्ताक्षर किये हुए है। भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.05.2017 को आज्ञाओं की सूची में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ सलंग्न पटवारी रिपोर्ट में पटवारी के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके की स्थिति का उल्लेख किया हुआ नही है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 08.05.2018 को प्रारुप 22 में जारी किया गया है लेकिन जारी दिनांक व सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर एक खाली भूखण्ड है, जिसमें ढालिया बना हुआ है। आबादी भूमि की लगती सीमा में होने से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पट्टा जारी किया गया है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकीन पटवार घर की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि किस्म की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पुश्तैनी मानकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण गलत नियम अन्तर्गत किया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या **39** दिनांक **25.05.2017** की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री कमलश्रीमाली उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। ग्राम पंचायत दूदनी से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी वक्त बहस हाजिर नहीं। काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक एवं तीन ने निवेदन किया कि हस्तगत पंचायत निगरानी तीन वर्ष के विलम्ब उपरान्त प्रस्तुत की गई है, अतः अवधिबाधित होने से काबिल खारिज है। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि गैर आबादी / राजस्व भूमि होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा जहाँ तक याचिका में अंकित प्रक्रियात्मक त्रुटियों का प्रश्न है, तो उक्त ऐसी नहीं है जिनके आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख को अवैधानिक करार दिया जा सके, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा निगरानी याचिका पत्र, सलंग्न दस्तावेज एवं मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 486/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम चैनाराम अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली द्वारा हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका के माध्यम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पारित संकल्प संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 तथा उसके अनुक्रम में अप्रार्थी श्री चैनाराम पुत्र दुदाजी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 25.05.2017 को वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों के साथ साथ मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि न होकर गैर मुमकिन पटवार भवन के रुप में राजस्व भूमि है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के सलंग्न तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट/भू.अ./2021/393 दिनांक 26.10.2021 भी प्रस्तुत की है, जिसमें क्रम संख्या 05 पर जैर निगरानी प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि को गै.मु. पटवार भवन की भूमि होना स्पष्ट रुप से अंकित किया है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अप्रार्थीगण सुनवाई के किसी भी स्तर पर उक्त जाँच रिपोर्ट के खण्डन निमित्त ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि को आबादी भूमि मानने की उपधारणा की जा सके। अर्थात भूमिधारी तहसीलदार बाली की जाँच रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 से प्रार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि जैर निगरानी प्रश्नगत भूखण्ड आबादी भूमि न होकर पटवार कार्यालय हेतु राजस्व विभाग की विभागीय भूमि है। गैर आबादी भूमि के विक्रय का ग्राम पंचायत दूदनी को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित आबादी भूमि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा किया गया विक्रय 'प्रारम्भत ही शून्य' (Ab initio void) है और ऐसी प्रारम्भतः ही शून्य कार्यवाही को कभी भी चुनौति दी जा सकती है अर्थात् ऐसी कार्यवाहियों पर परिसीमा सम्बन्धि बाधा भी लागु नहीं होती है। साथ ही, मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में इंगित प्रक्रियात्मक व वैधानिक त्रुटियों सम्बन्धि कथन सिद्ध पाए जाते है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रश्नगत भूमि का एक भाग अप्रार्थी संख्या तीन को दिनांक 19.06.2018 को बख्शीश किया गया। नवसंयोजित पक्षकार द्वारा इस हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 में स्वयं कथन किया गया कि उक्त भूमि पर उनके द्वारा दुकान संचालित की जा रही है। अर्थात् हस्तगत प्रकरण में न केवल गैर आबादी भूमि का अवैधानिक ढंग से अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, अपितु राजस्व विभागाधीन उक्त भूमि का अवैध रुप से वाणिज्यिक उपयोग किया जाना भी स्वीकार्य सिद्ध है। जिसके विरुद्ध प्रार्थी विकास अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 08/2017–18 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 तथा इसके अनुक्रम में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 25.05.2017 प्रारम्भतः ही शून्य (Ab initio void) होने से अपास्त किए जाते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 486 / 2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम चैनाराम अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूदनी को निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए पट्टा विलेख पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क कर तदनुरुप निरस्त का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला पाली